

फॉर्म 3 / FORM 3

(नियम 54 (12) देखें) / [See Rule 54 (12)]

परिवार का विवरण/ DETAILS OF FAMILY

- सरकारी कर्मचारी का नाम :
Name of the Government Servant
- पदनाम/Designation :
- जन्म तिथि/Date of Birth :
- नियुक्ति की तिथि/Date of appointment :
- दिनांक को मेरे परिवार * का विवरण निम्नानुसार है
Details of the members of family* as on

क्रं.सं. / Serial No	परिवार के सदस्यों के नाम Name of the family members	जन्म तिथि Date of Birth	अधिकारी के साथ संबंध (Relationship with the officer)	कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर (Initials of the Head of Office)	अभियुक्ति (Remarks)

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि कार्यालयाध्यक्ष को किसी भी प्रकार के संवर्धन अथवा संशोधन की सूचना देते हुए मैं, उक्त जानकारी को अद्यतन रखूंगा/ रखूंगी।

(I hereby undertake to keep the above particulars up-to-date by notifying to the Head of the Office any addition or alteration.)

स्थान/Place:

दिनांक/Dated:

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर /
Signature of the Govt. Servant

*इस प्रयोजन के लिए परिवार से आशय है जैसे कि परिवार की परिभाषा सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 के उप-नियम (14) के खंड (ख) में दी गई है।

(* Family for this purpose means family as defined in Clause (b) of sub rule (14) of Rule 54 of the CCS Pension Rules, 1972.)

टिप्पण:- पत्नी तथा पति में क्रमशः न्यायिक रूप से पृथक हुए पत्नी तथा पति शामिल हैं।

(NOTE--- Wife and husband shall include respectively judicially separated wife and husband.)